राजस्थान सरकार
उच्च शिक्षा

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

(1)

क्रमाकः–एफ24( )NOC18-19/ बी.एड/आकाशि/18/208 दिनांकः–26.03.2018

आदेश

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एन.सी.टी.ई.) के मान्यता आदेश के अनुसरण में निम्नलिखित 48 शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों को सत्र 2018–19 के लिए **बी.ए.बी.एड./बी.एससी.बी.एड. (4 वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम)** के संचालन हेतु केन्द्रीकृत प्रवेश व्यवस्था के तहत विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु अधोलिखित शर्तो के अधीन अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र एतद्द्वारा जारी किया जाता है।

1. प्रदेश में केन्द्रीयकृत प्रवेश व्यवस्था के अन्तर्गत महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के माध्यम से पी.टी.ई.टी. परीक्षा की मेरिट के आधार पर प्रवेश दिये जायेगें।
2. विश्वविद्यालय/महाविद्यालय सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की कोई राशि विद्यार्थियों से नहीं लेंगे। यदि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होती है,तो संबधित विश्वविद्यालयों/ महाविद्यालयों की मान्यता को तुरन्त प्रभाव से समाप्त कर दिया जायेगा।
3. विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को एनसीटीई एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सभी मापदण्डों की पूर्ति करने के साथ राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों की पालना करनी होगी। मापदण्डों की पालना नहीं करने पर राज्य सरकार अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त कर सकेगी।
4. विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों द्वारा उपयुक्त योग्यताधारी शिक्षकों की उपलब्धता की सुनिश्चितता की जावेगी।
5. **समस्त शिक्षक–प्रशिक्षण संस्थायें स्वयं की वेबसाईट निर्मित करेगें। उसके URL Name को आवेदन में अंकित करना होगा। इस वेबसाईट में महाविद्यालय को निम्न बिन्दुओं का आवश्यक रूप से उल्लेख करना होगा :–**
   i. महाविद्यालय की आधारभूत संरचना से सम्बन्धित दस्तावेज
   ii. महाविद्यालय भवन में उपलब्ध कक्षों की संख्या, प्रायोगशाला, माप एवं चित्र
   iii. महाविद्यालय में संचालित कोर्स में नामाकिंत छात्रों की संख्या (कुल स्वीकृत सीट,प्रवेशित छात्रों की संख्या)
   iv. एनसीटीई रेगुलेशन 2014 के नियमानुसार सम्बन्धित विश्वविद्यालय से अनुमोदित शैक्षणिक स्टॉफ एवं अशैक्षणिक स्टॉफ की सूची
   v. प्रत्येक 15 दिन में वेबसाईट अपडेट भी करनी होगी।

क्र.सं.	जिला	संस्था का नाम व पता	एन.सी.टी.ई के मान्यता आदेश क्रमांक व दिनांक	सीट संख्या	सहशिक्षा/ महिला
1	Tonk	**Shiv Mahavidyalaya,** Village -Saroli Mod, Tehsil-Dooni, District- Tonk -304802	NRC/NCTE /NRCAPP-2016 15082/Recognition/ 279th Meeting /2018/ 187614 dt.19.01.2018	100 (2 Unit)	सहशिक्षा
2	Nagaur	**Naveen Vidyapeeth T.T. College,** Village-Nimbi Jodha, Tehsil-Ladnun, Dist-Nagaur-341316	NRC/NCTE /APP-14428/ Recognition/B.A.B.Ed./B.Sc. B.Ed./276th Meeting 2017/ 184225 dated 03-11-17	100 (2 Unit)	सहशिक्षा
3	Sikar	**Prince Acaddemy of Higher Education Kanya College,** Village -Nani, Palwas Road, Tehsil-Sikar, District-Sikar-332001	NRC/NCTE /NRCAPP-2016 15194/Recognition/ 280th Meeting /2018/ 188625-30 dt.08.02.2018	100 (2 Unit)	सहशिक्षा
4	Churu	**Chandgiram College,** Bairasar Chhota, Tehsil-Rajgarh, Dist-Churu-3331023	NRC/NCTE /APP-15117/ Recognition/B.A.B.Ed./B.Sc.B. Ed./272nd Meeting 2017/ 178138 dt. 02-07-17	100 (2 Unit)	सहशिक्षा
5	Jhalawar	**Great India Teacher Training College,** Village -Khanpur, Tehsil-Khanpur, District- Jhalawar -326038	NRC/NCTE /NRCAPP-2016 16416/Recognition/ 280th Meeting /2018/ 188729-34 dt.09.02.2018	100 (2 Unit)	सहशिक्षा
6	Barmer	**Maa Vankal Malani Mahavidhyalaya,** Village - Chohatan, Barmer Road, Tehsil- Chohatan, District- Barmer-344702	NRC/NCTE /NRCAPP-2016 15249/Recognition/ 279th Meeting /2018/ 187695 dt.22.01.2018	100 (2 Unit)	सहशिक्षा

(5)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. विशिष्ट सचिव, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री,राजस्थान सरकार,जयपुर।
2. निजी सचिव,अति0मुख्य सचिव,उच्च शिक्षा, (ग्रुप–4)विभाग,राजस्थान,जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त,कॉलेज शिक्षा,राजस्थान,जयपुर।
4. संयुक्त सचिव,उच्च शिक्षा, (ग्रुप–4)विभाग,राजस्थान,जयपुर।
5. समन्वयक, बी.एड., बी.ए.बी.एड./बी.एससी. 2018 महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर।
6. रजिस्ट्रार, समस्त विश्वविद्यालयों को भेजकर लेख कि संस्थाओं का सम्बद्धता प्रदान करने से पूर्व एन.सी.टी. ई. के मान्यता पत्र के बिन्दू 4 व 5 की पूर्ण पालना सुनिश्चित करें।
7. क्षेत्रीय निदेशक, एन.सी.टी.ई. जीवन बीमा भवन, अम्बेडकर सर्किल, भवानी सिंह मार्ग,जयपुर।
8. परियोजना अधिकारी,राज्य सूचना(एनआईसी), शासन सचिवालय,जयपुर।
9. सचिव / प्राचार्य, सम्बन्धित महाविद्यालय
10. प्रभारी वेबसाईट, कॉलेज शिक्षा,राजस्थान, जयपुर को प्रेषित है कि विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
11. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (निजी संस्था)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।